न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 29/2023

प्रार्थी

श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– कोठार गली, दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. श्रीमती दरियादेवी पत्नी श्री रमेश कुमार सैन, जति– सैन, निवासी– दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
3. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत, दांतराई, तहसील–रेवदर, जिला सिरोही (राज.)
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र नामा, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दिनेश कुमार की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 19 नवम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, निवासी– दांतराई के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि निःशुल्क आवंटन का जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 18–12–2001 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। जिस पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दिनेश कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दिनेश कुमार की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये, लेकिन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दरियदेवी) द्वारा लिखित जबाव जरिये डाक प्रेषित किया गया, जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 14–11–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री नामा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी निगरानीकार, ग्राम पंचायत दांतराई के वार्ड संख्या 10 से वार्ड पंच है तथा प्रार्थी पूर्व में कई बार ग्राम पंचायत दांतराई में वार्ड पंच रह चुका है। अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, निवासी– दांतराई के नाम से एक भूखण्ड ग्राम दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में आया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा निःशुल्क पट्टा संख्या 5 18–12–2001 को जारी किया गया है जिसमें बुक संख्या 4 अंकित है व रसीद संख्या व संकल्प संख्या अंकित नही है तथा मिसल संख्या 12 दायर दिनांक 05–2–2021 अंकित है। ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा पंचायती राज विभाग के परिपत्र संख्या

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

एफ..14/परावि/विधि/नियम/01/5087 दिनांक 03–11–2001 के अनुसार अप्रार्थी दिनेश कुमार को निःशुल्क जारी उक्त पट्टा संख्या 5 दिनांक 18–12–2001 पर प्रस्ताव संख्या भी अंकित नही ह। उक्त पट्टे की चतुर्दशी अनुसार उत्तर में खंगार पुत्र लालाजी सुथार का भूखण्ड संख्या 11, दक्षिण में गली, पूर्व में पडत खालसा भूमि व पश्चिम में रास्ता है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 45 फीट व पूर्व–पश्चिम 30 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। अप्रार्थी दिनेश कुमार को ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के सम्पूर्ण प्रावधानो के तहत अप्रार्थी दिनेश कुमार, किसी भी प्रकार की कोई पात्रता नही रखता है। अप्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा अप्रार्थी ग्राम पंचायत, दांतराई से मेलमिलाप कर उक्त पट्टा जारी करवाया है। अप्रार्थी दिनेश कुमार के पास पूर्व मे स्वयं का मकान एवं अन्य गृहस्थल था एवं अप्रार्थी दिनेश कुमार, कमजोर वर्ग का व्यक्ति नही है, वह धनी वर्ग का व्यक्ति है तथा निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने के लिये किसी भी प्रकार कि कोई पात्रता नही रखता है। अप्रार्थी दिनेश कुमार के पास पूर्व से आवासीय भूखण्ड/गृह उपलब्ध था जिससे वह निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने का पात्रता नही रखता था। ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अप्रार्थी दिनेश कुमार के हक में नियम विरुद्ध निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी दिनेश कुमार के हक में ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा जारी उक्त पट्टे पर "बेचान के लिए नहीं" की मुहर लगी हुई है, परन्तु अप्रार्थी दिनेश कुमार ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) दरिया देवी पत्नी रमेश कुमार सेन, निवासी– दांतराई को उक्त निःशुलक पट्टे की भूमि का दिनांक 24–03–2014 को जरिये बेचान इकरार नामा बेचान किया है। उक्त इकरार बेचाननामें के अनुसार अप्रार्थी दिनेश कुमार ने अप्रार्थी दरिया देवी से प्रतिफल राशि रुपये 6,15,000/– (अक्षरे रूपये छः लाख पन्द्रह हजार) प्राप्त किए है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत निःशुल्क या रियायती दर पर आंवटित भूखण्ड़ का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में बेचान करने या हस्तान्तरण करने के प्रावधान नही है। यदि कोई व्यक्ति रियायती दर पर या निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विक्रीत क्ररता है, तो आंवटन स्वतः निरस्त हो जाता है तथा उस भूखण्ड़ का स्वामित्व, उस पर के संनिर्माण या पडी सामग्री के साथ ग्राम पंचायत में निहित हो जाता है और अन्तरिती को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुए बेदखल कर दिया जाता है परन्तु ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा आज दिन तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा जारी उक्त निःशुल्क पट्टे का बेचान हो जाने की ग्राम पंचायत के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए एन.ओ.सी. जारी करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त पट्टे की भूमि का अप्रार्थी दिनेश कुमार ने अप्रार्थी दरियादेवी कों बेचानर किया है जिसकी जानकारी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, दांतराई को भी है उसके बावजुद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करने से यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी दिनेश कुमार ने झुठा शपथ पत्र देकर मिथ्या कथन कर पट्टे का आवेदन किया है जो कानूनन गलत है। उक्त पट्टा, अप्रार्थी दिनेश कुमार को निःशुल्क जारी होने से व अप्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा अप्रार्थी दरिया देवी को बेचान करने से पंचायत को राजस्व का नुकसान हुआ हैं उक्त भूखण्ड का निःशुल्क पट्टा वर्ष 2001 में जारी होता है तथा वर्ष 2014 में बेचान होता है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी दिनेश कुमार की मंशा पंचायत को राजस्व नुकसान पॅहुचाने की है तथा अपने फायदे के लिए लाखों रूपये में बेचान किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र प्रभुलाल जी अग्रवाल, निवासी– दांतराई के हक में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड निःशुलक आवंटन का

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 18—12—2001 को निरस्त किया जाता है। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दिनेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने अप्रार्थी दिनेश कुमार के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र प्रभुलाल जी अग्रवाल, निवासी— दांतराई द्वारा ग्राम पंचायत, दांतराई में भूखण्ड़ आवंटन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, दांतराई में मिसल संख्या 12 दिनांक 05—2—2001 को दायर की जाकर ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों एवं प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए व अप्रार्थी दिनेश कुमार के निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने पात्रता की जांच एवं उसके पास पूर्व से कोई गृह या गृह स्थल नही होने की जांच करके ग्राम पंचायत दांतराई में प्रस्ताव/संकल्प पारित कर नियमानुसार 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ का राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांकःएफ.14/परावितविधि/नियम/01/5087 दिनांक 03—11—2001 के अनुसार 1350 वर्गफीट भूखण्ड आवंटन का निःशुल्क पट्टा संख्या 5 दिनांक 18—12—2001 को जारी किया गया है, जो प्रशासन गांव के संग अभियान— 2001 के दौरान व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधता नही है। उक्त पट्टे में वर्णित नाप व चतुदर्शी की सम्पत्ति अप्रार्थी दिनेश कुमार के स्वामित्व तथा कब्जे की है। अप्रार्थी दिनेश कुमार, निःशुल्क भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता था एवं उसके स्वयं के पास पूर्व से कोई गृह या आवासीय भूखण्ड़ नही था तथा अप्रार्थी दिनेश कुमार, कमजोर वर्ग का मजदूरी पेशा व्यक्ति होने के आधार पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी दिनेश कुमार के पक्ष में नियमानुसार निःशुल्क पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी दिनेश कुमार ने अपने उक्त पट्टा शुदा भूमि का अप्रार्थी दरिया देवी पत्नी रमेश कुमार सेन, निवासी— दांतराई को दिनांक 24—3—2014 को बेचान नही किया है। उक्त पट्टे की सम्पति, अप्रार्थी दिनेश कुमार के ही कब्जे मालकी की है। अप्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा अप्रार्थी दरिया देवी पत्नी रमेश कुमार सेन, निवासी— दांतराई से कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं है। बेचान इकरारनामा को कानूनन भूमि का बेचान या हस्तान्तरण नही माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बेचान इकरारनामा को विक्रय दस्तावेज नही माना है। प्रार्थी निगरानीकार महेन्द्र कुमार के उक्त तथाकथित बेचान नामें में बतौर साक्षी हस्ताक्षर है तथा उसको प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पूर्व से ही भलीभांति जानकारी होने के बावजूद भी अप्रार्थी दिनेश कुमार को ब्लेक मेल करने व परेशान करने की नियत से जानबूझ 22 वर्षो के बाद यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो कूननन परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा ग्राम पंचायत में झूठा व मिथ्या शपथ पत्र नही दिया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में निःशुल्क/रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन करने का प्रावधान है जिसके तहत बाद जांच ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी दिनेश कुमार को राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के अनुसरण में निःशुल्क पट्टा जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि नही हुई है। अप्रार्थी दिनेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी दिनेश कुमार की सम्पत्ति को हडप करने के आशय से एक गलत व फर्जी विक्रय ईकरारनामा बनवाया गया था, जिसकी जानकारी अप्रार्थी दिनेश कुमार को होने पर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उक्त ईकरारनामा को निरस्त कर दिया गया था। अप्रार्थी दिनेश कुमार के भूखण्ड का हडप करने का षडयंत्र भूमि माफियाओं द्वारा किया गया था। प्रार्थी ने अप्रार्थी दिनेश कुमार के विरूद्ध एक फौजदारी मुकद्मा इसी तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना में किया था, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान कर एफ.आर. न्यायालय में

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रस्तुत की है, जिससे भी स्पष्ट है कि गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, निवासी— दांतराई के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 5 दिनांक 18—12—2001 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत इस नियम में वर्णित श्रेणी के ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं का आवासीय गृह या गृह स्थल नही है को पंचायत द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर भूखण्ड़ आवटंन किये जाने का प्रावधान है। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पट्टा संख्या 5 दिनांक 18—12—2001 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पंचायती राज विभाग के परिपत्र संख्या एफ.14/परावि/विधि/नियम/01/5087 दिनांक 03—11—2001 के अनुसार अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल अग्रवाल, निवासी— दांतराई को उक्त निःशुल्क आवंटन का पट्टा जारी किया गया है, जिसका अंकन उक्त पट्टे पर किया हुआ है।

प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, निवासी— दांतराई के पास, उक्त प्रश्नगत निःशुल्क पट्टा जारी करने से पूर्व आवासीय गृह या गृह स्थल उपलब्ध था। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, निवासी— दांतराई, साधन सम्पन्न या धनी व्यक्ति हो। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, निवासी— दांतराई, उक्त नियम 158 में वर्णित कमजोर वर्गो की श्रेणी का पात्र व्यक्ति नही हो।

जहां तक, प्रार्थी निगरानीकार का यह कथन कि "अप्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा उक्त निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ के पट्टा संख्या 5 दिनांक 18—12—2001 की भूमि का अप्रार्थी दरिया देवी पत्नी रमेश कुमार सेन, निवासी— दांतराई को बेचान इकरारनामा दिनांक 24—3—2014 से बेचान कर दिया है।" इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि किसी भूमि के बेचान इकरार को कानूनन भूमि का विक्रय विलेख नही माना जा सकता है। विक्रय इकरार केवल एक इकरार (एग्रीमेन्ट) है जिसके आधार पर भूमि को विक्रय या हस्तान्तरण होना नही माना जा सकता है। कानूनन, भूमि का विक्रय विलेख पंजीकृत होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, यह तथ्य भी साबित नही होता है कि अप्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल, निवासी— दांतराई द्वारा अप्रार्थी दरिया देवी पत्नी रमेश कुमार सेन, निवासी— दांतराई को भूमि का विक्रय या हस्तान्तरण किया गया हो।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में प्रार्थी निगरानीकार असफल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत बेचान इकरारनामा दिनांक 24—3—2014 पर बतौर साक्षी प्रार्थी निगरानीकार महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी— दांतराई के हस्ताक्षर है, इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी निगरानीकार महेन्द्र कुमार को अप्रार्थी दिनेश कुमार के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 5 दिनांक 18—12—2001 के पूर्व से

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ही जानकारी थी, उसके बावजूद भी प्रार्थी निगरानीकार ने यह निगरानी आवेदन, अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही